न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 47 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/48)
पंजीयन दिनांक– 11.02.2021
निर्णय दिनांक– 24.08.2021

1. श्री नाथूलाल पिता डालु धोबी, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री लालुराम पिता डालु धोबी, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री माधुगर पिता शंकरगर गुसाई, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. अध्यक्ष, गुसाई समज जरये श्री योगेन्द्र गिरी पिता गुलाब गिरी गुसाई, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री लालुगिरी पिता रतनगिरी गुसाई, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री भैरूगिरी पिता किसनगिरी गुसाई, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री बंशीगिरी पिता मोतीगिरी गुसाई, निवासी जवाहर नगर आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पुनित शर्मा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक / राजस्व / 12–6(19)15 / 538 दिनांक 27.04.2015

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(19)15/538 दिनांक 27.04.2015 के विरूद्ध दिनांक 26.08.2016 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 23.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(19)15/538 दिनांक 27.04.2015 से मौजा आकोला की आराजी नम्बर 7433 रकबा 0.33 हैक्टेयर व 7921/7435 रकबा 0.10 हैक्टेयर को गुसाई समाज आकोला को समाधी स्थल हेतु आवंटित किया जाने से अप्रसन्न होकर एवं व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पुनित शर्मा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 की ओर से

अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात 7433 रकबा 0.33 हैक्टेयर की गत पैमाईश के आराजी नम्बर 4539 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा था तथा बिलानाम सरकारी पड़त रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज थी जिस पर अपीलांट संख्या 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा था तथा आज भी कब्जा है तथा आराजी नम्बर 7921/7421 का भी गत पैमाईश का आराजी नम्बर 4539 था इस पर अपीलांट संख्या 3 का कब्जा था तथा आज भी है। विवादित आराजीयत को लाखों रूपया लगाकर निगराकार ने काबिल काश्त बनाया है तथा चारों तरफ डोल थोहर लगा रखे है तथा गत 35 वर्षो से अपीलांट काश्त कर रहे है। अपीलांट संख्या 1 व 2 अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकार है तथा इसी आराजीयात से अपीलांट के परिवार का भरणपोषण होता है। गुसाई समाज आकोला में केवल 7 मकान है इनको मेवाड सरकार ने 7 बीघा भूमि समाधी स्थल के लिए पहले से दे रखी है जहां पर इनकी बड़ी–बड़ी समाधियों की छतरियां व समाधियों पर शिव मंदिर बना रखे है और भी काफी भूमि शेष पड़ी है। अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन से पहले विवादित आराजी पर निगराकार का 35 वर्ष पुराना कब्जा है तथा काबिज काश्त होकर मौके पर काश्त हो रही है इस बाबत पटवारी हलक आकोला ने तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पुराना रेकार्ड नहीं पेश किया मौके की सही रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को अंधकार में रखकर आवंटन कराया है, जो निरस्त किया जाना आवश्यक बताते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं कापासन की अभिशंषा एवं संबंधित ग्राम पंचायत की अनापत्ति अनुसार आदेश में अंकित ग्राम में प्रस्तावित

क्षेत्रफल की चारागाह भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सहकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत चारागाह से खारिज करा चारागाह की क्षतिपूर्ति के अभाव में आदेश में वर्णित अंकित ग्रामों में आरक्षण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2015 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं कपासन की अभिशंषा एवं संबंधित ग्राम पंचायत की अनापत्ति अनुसार राजकीय नियमों के अंतर्गत उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2015 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक– 538 दिनांक 07.04.2015 की जानकारी पूर्व में रही हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा दफा 5 जा.दी. के आवेदन एवं शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाती है।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझे हैं। अपीलाण्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन अपील प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 30.09.2016 को पेश किया है एवं उसमें यह वर्णित किया है कि इस पर हमारा 30 वर्षों से कब्जा होकर हम प्रार्थीगण काश्त कर रहे हैं व उक्त आदेश से हमारा हित प्रभावित हो रहा है एवं अपील में भी उसके द्वारा विवादित भूमियों पर अपना कब्जा होना व गुसाई समाज के केवल 7 मकान होने व सरकार ने 7 बीघा भूमि समाधि स्थल हेतु

दिये जाने के कथन ही वर्णित किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ कोई आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पेश कर कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में आवंटन आदेश के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी ने अनुशंषा प्रेषित की है। ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को निर्धारित प्रयोजनार्थ आरक्षण में अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया है। पर्चे मौके में भी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना एवं ग्रामसभा के प्रस्ताव में भी उक्त भूमि को आरक्षित किये जाने की अनुशंषा उपलब्ध है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ बिना आवेदन कतिपय दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें सन्दर्भ के लिए देखा भी जाय तो यह प्रकट आता है कि वर्ष 1982 में आराजी नं0 4539 के 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर डालू का कब्जा होने के कारण उसे नोटिस दिया गया है एवं इसी प्रकार वर्ष 2015 में आराजी संख्या 7435 के 0.15 हैक्टेयर में से 0.5 हैक्टेयर पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 का अतिचार होने का नोटिस जारी किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कतिपय फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उक्त फोटोग्राफ्स की सी.डी. रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अन्य शपथ–पत्र की फोटोप्रतियां पेश की है जो अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं की जा सकती।

अब यदि हम प्रकरण का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आरक्षण आदेश जारी किया है, उसमें आराजी नं0 7433 बाबत् विवाद की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है एवं जहां तक वर्ष 2015 में आराजी नं0 7435 के 0.5 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के आरक्षण आदेश में 0.15 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर का ही आरक्षण किया गया है, अर्थात् 0.05 हैक्टेयर भूमि आरक्षण से शेष है। अतिक्रमी का वैसे भी कोई Locus Standai नहीं होता तथा विवादित भूमियां पर अपीलाण्ट का आराजी नं0 7433 रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं आराजी नं0 7435 रकबा 0.10 हैक्टेयर का बवक्त आरक्षण उसका कब्जा आवंटित भूमि स्थल पर रहा हो, ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार

अपीलाण्ट को इस प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं दफा 96 जा.दी. के आवेदन के सन्दर्भ में उसे आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती एवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर